

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2024/डी-1173

दिनांक:- 23/8/2024

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:-भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 300वीं बैठक दिनांक 21.08.2024 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

1. एजेण्डा नम्बर 300.1 (21.08.2024):-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 299वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 के कार्यवाही विवरण बाबत।

निर्णय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 299वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है।

2. एजेण्डा नम्बर 300.2 (21.08.2024):- (जोन-13)

भूखण्ड एवं स्वामित्व/लेखा का विवरण:-

1.	भूखण्ड का विवरण	खसरा नम्बर 6459/1, 6459/2, 6460/1, ग्राम-चौमू तहसील-चौमू जयपुर।
2.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	2957.00 वर्ग मीटर
3.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	48 मीटर व 9 मीटर (कॉर्नर)
4.	भूखण्ड के आवंटन की प्रकृति-90ए/ 90बी के तहत आवंटित/नीलामी/रियायती पर आवंटित	प्रश्नगत व्यवसायिक भूखण्ड की लीज होल्ड से फ्री होल्ड डीड दिनांक 07.02.2024 को जारी की गई है।
5.	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन/ एकल पट्टों से पुर्नगठित	एकल पट्टा
6.	परियोजना-समूह आवास/मुख्यमंत्री जन आवास योजना/फ्लैट्स/स्टूडियो अपार्टमेन्ट/व्यावसायिक/होटल/मिश्रित उपयोग/वेयर हाउस/रिसोर्ट/ मोटल/पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं तो।	व्यवसायिक कम होटल प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।
7.	आवेदक का नाम	श्री अमर चन्द रावत एवं श्रीमती भगवती देवी
8.	स्वामित्व रिपोर्ट	जोन की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के अनुसार स्वामित्व श्री अमर चन्द रावत एवं श्रीमती भगवती देवी के नाम है।
9.	लेखा रिपोर्ट	जोन की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के अनुसार भूखण्ड के पेटे अन्य कोई राशि लेय नहीं है। व्यवसायिक आरक्षित दर 18,400/- प्रति व.मी. है। भूखण्ड पर कोई न्यायिक वाद लम्बित नहीं है।
10.	निर्माण अवधि की दिनांक	जोन की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के अनुसार प्रश्नगत व्यवसायिक भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 07.02.2024 को जारी की गई है। अतः भवन निर्माण अवधि 7 वर्ष अर्थात दिनांक 06.02.2031 तक है।
11.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री जितेन्द्र शर्मा, सी.ए./2009/45196

भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण भवन विनियम 2020 अनुसार:-

• नाहरगढ ईको सेन्सेटिव जोन से प्रभावित हैं अथवा नहीं	नहीं
• आर्मी कन्टोनमेन्ट एरिया की 500 मीटर की परिधि में हैं अथवा नहीं	नहीं

RajKaj Ref
9931437



Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.08.22 11:15:39 IST
Reason: Approved

• एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक हैं अथवा नहीं		C.C.Z.M-2023 की सीमा से बाहर है।			
12	तकनीकी विश्लेषण	जविप्रा के स्थल मानचित्रानुसार/भवन विनियम 2020 अनुसार	दिनांक 03.02.2015 को जारी मानचित्र अनुसार	आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रस्तावानुसार	नियमानुसार हैं अथवा नहीं
1.	सैटबैक				नियमानुसार हैं।
	सामने-I	9.00 मी.	12.21 मी.	15.11 मी.	
	पार्श्व-I	9.00 मी.	9.16 मी.	9.01 मी.	
	पार्श्व-II	9.00 मी.	9.14 मी.	9.01 मी.	
	पीछे	9.00 मी.	9.14 मी.	9.01 मी.	
2.	अधिकतम आच्छादन	40 प्रतिशत (1182.80 व.मी.)	35.04 प्रतिशत (1036.26 व.मी.)	39.70 प्रतिशत (1174.03 व.मी.)	नियमानुसार हैं।
3.	अधिकतम ऊँचाई	81 मीटर (भवन विनियम 2020 के प्रावधान अनुसार सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना + अग्र सैटबैक (48 मी. x 1.5 + 9 मी. = 81 मीटर) C.C.Z.M-2023 की सीमा से बाहर है।	1.20 मी. (प्लिन्थ) + 28.65 मी. (भूतल + 06 तल) = 29.85 मी. + 7.75 मी. (ममटी/मशीन रूम) कुल 37.60 मी.	0.90 मी. (प्लिन्थ) + 30 मी. (भूतल + 06 तल) = 30.90 मी. + 7.75 मी. (ममटी/मशीन रूम) कुल 38.65 मी.	नियमानुसार हैं।
4.	कुल तलों की संख्या	—	(02 बेसमेन्ट + लोअर ग्राउण्ड + भूतल + 06 तल)	(03 बेसमेन्ट + भूतल + 6 तल)	नियमानुसार हैं।
5.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	—	11,705.83 व.मी.	15,984.65 व.मी.	नियमानुसार हैं।
6.	बी. ए. आर.	साईट प्लान अनुसार मानक एफ.ए.आर. 1.33, अधिकतम 2.25 2.25 x 1.5 = 3.375 (9979.87 व.मी.) भवन विनियमानुसार व्यवसायिक उपयोग हेतु मानक बी.ए.आर. 2.00 (5914 व.मी.) भवन विनियमानुसार होटल उपयोग हेतु मानक बी.ए.आर. 4.00 (11,828 व.मी.)	एफ.ए.आर. 2.186 (7797.04 व.मी.)	होटल हेतु बी.ए.आर. 1.81 (5355.76 व.मी.) व्यवसायिक उपयोग हेतु 1.60 (4731.32 व.मी.) कुल बी.ए.आर. 3.41 (10,087.08 व.मी.)	—
7.	पार्किंग	158 ईसीयू 129 कार + 119 स्कूटर	166 ईसीयू 123 कार + 129 स्कूटर	184.33 ईसीयू 135 कार + 148 स्कूटर	नियमानुसार हैं।
8.	ग्रीन एरिया	लागू नहीं है।	—	—	—
9.	व्यावसायिक (रिटेल)	लागू नहीं है।	—	—	—
10.	क्लब एरिया	लागू नहीं है।	—	—	—
11.	10.3.2—क्षरण क्षेत्र (Refuge area) (संबंधित तल का 10 प्रतिशत या तीन तरफ खुली बालकनी या डबल हाईट टैरेस) नविनि के आदेश दिनांक 29.11.2022 अनुसार बहुमंजिला आवासीय भवनों डबल हाईट टैरेस (दो ओर खुली हुई) अथवा बालकनी होने पर पृथक से क्षरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।	24 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु	लागू नहीं है।	—	—
12.	10.3.2(ix) 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल	अनुमोदित भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना	लागू नहीं है।	—	—

RajKaj Ref
9931437

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.08.22 11:15:39 IST
Reason: Approved

		डिजाईन मानचित्र	अनिवार्य हैं।		
13.	10.3.2(x)भवन में अपेक्षित सेवाओं हेतु मानचित्रों के 2 सैट निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्	अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना है।	लागू नहीं है।	-	
14.	10.10(viii):-40 मीटर से अधिक ऊँचाई हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति	लागू नहीं है।	-	-	
15.	10.11.1:-वर्षा जल संग्रहण का चिह्निकरण	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।	
16.	10.11.2:-अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण व रिसाईकिलिंग	5000 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवश्यक हैं।	STP प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।	
17.	10.11.2(4) सीवरेंज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान	10,000 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवश्यक हैं।			
18.	10.11.3:-पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण	आवश्यक हैं।	लागू हैं।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाएगा।	
19.	10.11.4(ii)सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेंद्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिह्नित किया जाना होगा।	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।	
20.	12.1.2:-आगन्तुक पार्किंग का दर्शाया जाना	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में अंकित हैं।	नियमानुसार हैं।	
21.	E.V Charging Facility	आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत	शपथ पत्र प्रस्तुत है।	-	
22.	12.1.15 के अनुसार पार्किंग के प्रावधानों की पालना	आवश्यक हैं।	शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत है।	-	
23.	12.1.18:-पार्किंग सकुलेशन प्लान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।	
24.	14:-विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश पथ/उप पथ/पहुँच मार्ग/रेम/शौचालय/पार्किंग आदि का प्रावधान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।	
25.	17.1:-Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त	20,000 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिवास प्रमाण-पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना है।	लागू नहीं है।	-	
26.	बीपीसी-बीपी की 243वीं बैठक दिनांक 23.07.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार लडित चालक का प्रावधान	18 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु आवश्यक हैं।	लागू नहीं है।	-	
27.	बीपीसी-बीपी की 246वीं बैठक दिनांक 15.09.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार संशोधन/विस्तार हेतु ईकाईयों के आवंटियों की सहमति	लागू नहीं है।	-	-	
28.	रेरा में पंजीकरण	लागू है।	लागू हैं।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाना है।	
29.	पंजीकृत पर्यटन ईकाई/समूह आवास में कमरों/फ्लैट्स की संख्या	लागू नहीं है।	-	-	
30.	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रस्ताव अथवा 100/-प्रति व.फी. की दर से बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड लेय हैं।	लागू नहीं है।	-	-	
31.	भवन विनियम के अनुरूप बिना अनुमति निर्माण शास्त्र	लेय हैं अथवा नहीं।	लेय नहीं हैं।	-	
32.	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 8(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 10.08.2023 के अनुसार लेबर सेस	आवश्यक हैं।	लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।	
33.	अग्निशमन शुल्क	आवश्यक हैं।	लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।	
34.	प्रस्तावित बी.ए.आर. ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु	लागू नहीं है।	-	-	
35.	सौर ऊर्जा का प्रावधान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।	
13	मौका रिपोर्ट:- मौके पर प्रस्तावित भूखण्ड की नापें साईट प्लान अनुसार मौके पर उपलब्ध है। प्रस्तावित 48 मीटर सड़क के मध्य से 23 मीटर तक सड़क (ROW) उपलब्ध है। भूखण्ड के अग्र सेटबैक में पक्की दूकानें व टीनशेड आदि निर्मित है, जो प्रस्तावित 48 मीटर सड़क से प्रभावित है, इसके अतिरिक्त भूखण्ड रिक्त है।				

RajKaj Ref
9931437

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.08.22 11:15:39 IST
Reason: Approved

	प्रस्तावित भूखण्ड सीसीजेडएम-2023 की सीमा से बाहर है।
14	प्रकरण के तथ्य:-पूर्व में प्रकरण बीपीसी-बीपी की बैठक दिनांक 12.05.2014 एवं 19.01.2015 में प्रस्तुत किया जाकर सशर्त दिनांक 03.02.2015 को भवन मानचित्र जारी किये गये। प्रकरण में विकासकर्ता द्वारा होटल प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु दिनांक 15.07.2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उपायुक्त जोन-13 से नवीनतम लेखा/स्वामित्व/पुनर्ग्रहण शुल्क आदि की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 16.07.2024 को यू.ओ. नोट प्रेषित किये गये, जिसके परिपेक्ष्य में उपायुक्त जोन-13 द्वारा दिनांक 05.08.2024 को यू.ओ. नोट प्रेषित किया गया। उपायुक्त जोन-13 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में बकाया पुनर्ग्रहण राशि 1,20,600/- रुपये जमा करवाकर चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु विकासकर्ता को पत्र दिनांक 07.08.2024 द्वारा सूचित किया गया। विकासकर्ता द्वारा दिनांक 07.08.2024 को राशि जमा करवाते हुए चालान की प्रति प्रस्तुत की गई।
15.	प्रस्ताव:-विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के उपरोक्त तालिका में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र तकनीकी अनुमोदन योग्य हैं। विकासकर्ता द्वारा निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी:- - कनिष्ठ अभियन्ता, बीपीसी-बीपी की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रस्तावित 48 मीटर सड़क के मध्य से 23 मीटर तक सड़क (ROW) उपलब्ध है। भूखण्ड के अग्र सेटबैक में पक्की दूकानें व टीनशेड आदि निर्मित है, जो प्रस्तावित 48 मीटर सड़क से प्रभावित है। अतः मौके पर 48 मीटर सड़क में निर्मित निर्माण एवं भूखण्ड के अग्र सेटबैक में निर्मित निर्माण को हटायें जाने के उपरान्त ही भवन मानचित्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। - प्रकरण में मुख्य प्रवेश/निकास 48 मीटर सड़क से अनुज्ञेय होगा। 9 मीटर सड़क की ओर से प्रवेश/निकास अनुज्ञेय नहीं होंगे। - जोन की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के अनुसार प्रश्रुत व्यवसायिक भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 07.02.2024 को जारी की गई है। अतः भवन निर्माण अवधि 7 वर्ष अर्थात् दिनांक 06.02.2031 तक है। - प्रस्तावित रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट हेतु अग्निशमन सम्बन्धी सुरक्षात्मक प्रावधान एवं अन्य मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 09.01.2020 में वर्णित शर्तों की पालना विकासकर्ता के स्तर पर सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। - भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष देय होगी। - विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नवि/2020 पार्ट-III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार श्रम उपकर हेतु भवन निर्माण लागत की 1 प्रतिशत राशि नियमानुसार निर्माण अवधि के मध्यनजर श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति प्रस्तुत की जानी होगी। - नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्यस्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जावेगा। - नियमानुसार अन्य शुल्क लेय होंगे।

RajKaj Ref
9931437

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.08.22 11:15:39 IST
Reason: Approved

विचारणीय बिन्दु:-

1. भवन विनियमानुसार व्यवसायिक उपयोग हेतु मानक बी.ए.आर. 2 एवं होटल उपयोग हेतु मानक 4 बी.ए.आर. अनुज्ञेय है। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्रों में बेसमेन्ट-प्रथम, भूतल से द्वितीय तल तक व्यावसायिक एवं तृतीय तल से छठवें तल तक होटल उपयोग प्रस्तावित करते हुए कुल 3.41 (10,087.08 व.मी.) बी.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रकरण में बेसमेन्ट लेवी लिये जाने के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया एवं बैठक के दौरान विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए तथा समिति निम्न निर्णय लिये गये:-

1. प्रकरण में मानक बी.ए.आर. 2 अनुज्ञेय करते हुए मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त प्रस्तावित बी.ए.आर. पर नियमानुसार बेसमेन्ट लेवी ली जावे।
2. जोन की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के अनुसार प्रश्नगत व्यवसायिक भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 07.02.2024 को जारी की गई है। अतः भवन निर्माण अवधि 7 वर्ष अर्थात् दिनांक 06.02.2031 तक अवगत करवाया गया है। अतः प्रकरण में भवन निर्माण अवधि के संबंध में जोन को पुनः परीक्षण कर भवन निर्माण अवधि बाबत स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु उपायुक्त जोन-13 को निर्देशित किया गया।
3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या-12 में शेष उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन योग्य है। अतः निर्णय के बिन्दु संख्या 01 व 02 की सुनिश्चितता उपरान्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या-15 के प्रस्ताव में उल्लेखित समस्त शर्तों की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

RajKaj Ref
9931437

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.08.22 11:15:39 IST
Reason: Approved

2. एजेण्डा नम्बर 300.2 (21.08.2024):- (जोन-)

विषय:- आयुक्तालय विशेष योग्यजन से परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त अनियमिताओं के संबंध में।

निर्णय:- आयुक्तालय विशेष योग्यजन से परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त अनियमिताओं के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित जोन द्वारा आयुक्तालय विशेष योग्यजन से प्राप्त पत्रों/निर्देशों के क्रम में प्रश्नगत परियोजनाओं की 03 दिवस में मौका रिपोर्ट करते हुए विशेष योग्यजन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित विकासकर्ता एवं वास्तुविद् को नोटिस जारी किया जाना सुनिश्चित करावे।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

दिनांक 23/8/2024

क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी(बीपी)/2024/डी- 1173

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय, नविवि एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना/विधि), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पी.आर.एन)/(प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त जोनजविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

RajKaj Ref
9931437

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.08.22 11:15:39 IST
Reason: Approved

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 300वीं बैठक दिनांक 21.08.2024 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्रीमती मंजू राजपाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री विनय कुमार दलेला, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्रीमती रिकू बसंल, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:-

1. श्री अंकुर दाधीच, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री रामकुमार वर्मा, उपायुक्त जोन-07, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती सुमन देवी, उपायुक्त जोन-08, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती देवयानी, उपायुक्त जोन-13, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री विजय मीणा, उप नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री मुकेश सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-07 व 08, जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्यनगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

RajKaj Ref
9931437

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansa
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.08.22 11:15:39 IST
Reason: Approved